न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या 160/2018/225 आरटीए

1. गुरलाल सिंह पुत्र जलौर सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. जलौरसिंह पुत्र भूरसिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

––अपीलान्ट

–: बनाम :–

1. इकबाल सिह पुत्र गुरजन्टसिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. गुरलाल सिंह पुत्र गुरजन्टसिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. हरपाल सिंह पुत्र गुरजन्टसिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 09.05.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया

प्र0सं0 153/2017 अनवानी इकबालसिंह आदि बनाम गुरलालसिंह आदि

श्री खुशप्रीत सिंह संधू अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री वतनदीप सिंह राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2 व 3

निर्णय दिनांक –03.08.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेंटस ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद प्रस्तुत करते हुए इसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश किया गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.06.2017 को अन्तरिम आदेश जारी किया जाकर अप्रार्थीगण चक 6 डीएलपी के खाता सं. 19/18 प.न. 143/194 के मु.न. 48 के कि.न. 18 ता 20 मे अप्रार्थीगण/अपीलांटस दखलअंदाजी से निषेध रहने व मौका की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश पारित किया गया। उक्त अन्तरिम आदेश अपीलाधीन आदेश के जरिये ताफैसला दावा कन्फर्म किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा बिना किसी प्रकार की सूचना दिये दिनांक 09.05.2018 को पत्रावली कैम्प कोर्ट मोरजण्ड सिखान मे पेशी मे ली जाकर एकपक्षीय अपीलांटस को सुने बिना आदेश पारित किया गया है। पूर्व मे चक 6 डीएलपी के प.न. 143/194 मु.न. 48 की 8 बीघा भूमि वर्ष 2001 मे खातेदारान हरनेकसिंह, टेकसिंह व करनैलसिंह उर्फ फरनैलसिंह पुत्रगण जोगेन्द्रसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड मे अंकित थी जो उक्त तीनो खातेदारो द्वारा दिनांक 30.04.2001 को गुरतेजसिंह पुत्र खेतासिंह को सप्रतिफल विक्रय कर दी तथा उक्त भूमि की पूर्व दिशा की ओर पत्थरलाईन अर्थात प.न. 142/194 मे अवस्थित मंजूरशुदा रास्ते से आने हेतु उक्त 8 बीघा भूमि को कोई रास्ता नही लगता था। उक्त भूमि क्रेता गुरतेजसिह द्वारा विक्रय अनुबंधित भूमि जो प. न. 143/194 के मु.न. 48 कि.न. 6, 7, 14, 15, 16, 17, 24, 25 मे अवस्थित था, तत्पश्चात दिनांक 15.05.2002 को हरनेकसिंह आदि द्वारा एक विक्रय विलेख गुरतेजसिंह के पक्ष मे निष्पादित कर पंजीबद्ध करवाया। उक्त भूमि मे आने जाने हेतु एक अन्य खातेदार गुलाम फरीद पुत्र अब्दुल हक जिसकी भूमि भी इसी मुरब्बा नं. 48 के कि.न. 18, 19, 20 मे अवस्थित थी, मे से उत्तर दिशा की ओर उक्त क्रेता गुरतेजसिंह द्वारा उक्त भूमि मे आने जाने हेतु तीनो बीघो मे दो दो बिस्वा भूमि यानि कुल 6 बिस्वा गुलाम फरीद से प्रतिफल क्रय कर ली जिसका पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 25.02.2002 को गुलाम फरीद बहक गुरतेजसिंह उपपंजीयक संगरिया कार्यालय से पंजीबद्ध करवा दिया। विक्रय विलेख के रोज से ही उक्त भूमि पर काबिज होकर रास्ता के रूप मे अपनी खातेदारी भूमि का व्यक्तिगत रूप से उपयोग व उपभोग करने लगा तथ उक्त दोनो विक्रय विलेखो के आधार पर उक्त 8 बीघा 6 बिस्वा भूमि का नामान्तरण भी गुरतेजसिंह के नाम से हो चुका है तथा गुलाम फरीद

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

द्वारा दिनांक 25.02.2002 को एक हल्फनामा रोबरू गवाहान लिखवाकर निष्पादित किया कि चक 6 डीएलपी के प.न. 143/194 मु.न. 48 कि.न. 18, 19, 20 मे 2–2 बिस्वा कुल 6 बिस्वा भूमि गुरतेजसिंह पुत्र खेतासिंह को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख विक्रय की है तथा उक्त वर्णित रकबे का कब्जा सौपा है तथा यह रकबा क्रेता द्वारा रास्ते के लिए क्रय किया है, बाबत दिया। तत्पश्चात दिनांक 28.01.2005 को गुरतेजसिंह द्वारा उक्त दोनो बैयनामो मे क्रय की आराजी अप्रार्थी सं. 2/अपीलांट सं. 2 को विक्रय अनुबंधित कर कब्जा कुल भूमि का मौके पर उसी दिन अप्रार्थी सं. 2 को सौंप दिया तथा दिनांक 17.03.2007 को विक्रय विलेख अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे निष्पादित कर पंजीकृत करवा दिया। उपरोक्त तथ्यों से साबित होता है कि उक्त कि. न. 18 ता 20 मे उतरी छोर पर दिनांक 25.02.2002 से रास्ता चला आ रहा है जो अप्रार्थी सं. 2 को विक्रय अनुबंध व विक्रय विलेख के माध्यम से खातेदारी भूमि के रूप मे निहित हुआ है, आदि आदि तथ्यों पर अपीलांटस द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष जवाब पेश किया था परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों का विश्लेषण अपने आदेश मे नही किया है।

4. रेस्पो0 द्वारा एक राजस्व वाद अनवानी हरमेलसिंह आदि बनाम बलदेवसिंह आदि, वाद संख्या 18/2013 द्वारा चक 6 डीएलपी के प.न. 143/194 मु.न. 48 के कि.न. 18 ता 20, अप्रार्थी सं. 2 की उतरी दिशा की 6 बिस्वा खातेदारी भूमि को शामिल करते हुए अपनी खातेदारी घोषित करने का अनुतोष चाहते हुए विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया तथा अपीलांट सं. 2 की तामिल बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए दिनांक 10.02.14 को निर्णय करवाकर डिक्री करवा लिया, जिसके विरूद्ध एक अपील राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ मे प्रस्तुत की तथा राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा दिनांक 23.09.2016 को निर्णय पारित करते हुए प्रकरण सहायक कलैक्टर महोदय

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संगरिया को प्रतिप्रेषित कर दिया, जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण/रेस्पो0 द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष द्वितीय अपील पेश की गई जिसका क्रमांक 7161/2016 है0 जो वर्तमान मे लम्बित है तथा उक्त प्रकरण के पूर्व मे लम्बित होन के कारण प्रार्थीगण वर्तमान प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अधिकारी नही है तथा रेस्पो0 द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र चक 6 डीएलपी के खाता सं. 19/18 के आधार पर प्रस्तुत किया है जबकि उक्त जमाबंदी राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.09.2016 के अनुसार निष्प्रभावी हो चुकी है। उक्त तीनो बीघो की भूमि का सम्पूर्ण भू–भाग रेस्पो0 की खातेदारी का ही है तथा एक खातेदार काश्तकार स्थाई निषेधाज्ञा का वाद कानूनन प्रस्तुत कर सकता है। स्थाई निषेधाज्ञा का वाद एक सहखातेदार, दूसरे सहखातेदार के विरूद्ध कानूनन पेश नही कर सकता है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ के आदेश दिनांक 23.09.2016 के अनुसरण मे अपीलांटस व रेस्पो0 सहखातेदार है तथा कानूनन एक सहखातेदार के विरूद्ध विशिष्ट बीघो की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती, लेकिन विचारण न्यायालय द्वारा इस ओर ध्यान ना देकर कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावें।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 की कृषि भूमि चक 6 डीएलपी के खाता सं. 19/18 मे प.न. 143/193 मु.न. 30 कि.न. 22 ता 24/0.759 है0, प.न. 143/194 मु.न. 48 कि. न. 9 ता 12/1.012, 18/0.127, 19 ता 22/1.012, प.न. 144/195 मु.न. 50 कि.न. 21 ता 24/1.012, 25/0.228 है0, 143/196 मु.न. 61 कि.न. 4 ता 7/1.012, 14, 15/0.506 है0, 144/196 मु.न. 62 कि.न. 1 ता 4/9/2, 5/0.202, 6/0.228, 7 ता 14/2.024, 15/0.228 कुल 2.262 है0 रास्ता मय गै.मु. 0.102 खाला 0.126 है0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कुल 9.490 है0 भूमि है। उक्त भूमि रेस्पो0 के पिता गुरजन्टसिंह की खरीदशुदा है। रेस्पो0 के पिता गुरजन्टसिंह फौत हो चुका है उनके बाद समस्त भूमि रेस्पो0 के कब्जा मे चली आ रही है। उक्त भूमि मे प.न. 143/194 मु.न. 48 कि.न. 18/0.127, 19/0.253, 20/0.253 पूरे है। इनके से कोई रास्ता स्वीकृत नही है लेकिन अपीलांटस जिनकी आगे खरीदशुदा भूमि है रास्ता मांग रहे थे। उक्त किलो मे रास्ता देने से इन्कार कर दिया कि उक्त किलो मे कोई स्वीकृत रास्ता नही है ना ही उक्त किले पत्थर लाईन पर है। रास्ता देने से मेरे एक खेत के दो खेत हो जायेगें तो अप्रार्थीगण/अपीलांटस कहने लगे कि रास्ता नही दोगे तो जबरदस्ती आपके उक्त किलो मे से रास्ता ले लेगें। रेस्पो0 की उक्त भूमि कि.न. 18, 19, 20 मे स्वीकृत या चालू रास्ता नही है। रेस्पो0 ने उक्त किलो मे ग्वार की फसल काश्त कर रखी है। अपीलांटस जबरदस्ती आवागमन करने से रेस्पो0 की फसल नष्ट हो जायेगी व रेस्पो0 की कृषि भूमि विभाजित हो जायेगी। इसी आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत कर अपीलांटस/अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अनुतोष चाहा गया कि प्रार्थीगण की भूमि चक 6 डीएलपी के खाता सं. 19/18 के प.न. 143/194 मु.न. 48 कि.न. 18, 19, 20 मे आवागमन से निषेध रहे व मौका की यथास्थिति बनाये रखे। जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 20.06.2017 को अन्तरित आदेश पारित किया गया जिसे अपीलाधीन आदेश के जरिये ताफैसला वाद कन्फर्म किया गया है जो सही है। अपीलांटस ने बिना किसी आधार पर के अपील प्रस्तुत की है जो काबिले खारिज है।

6. बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट का तर्क है कि ''चक 6 डीएलपी के प.न. 143/194 मु.न. 48 की 8 बीघा भूमि वर्ष 2001 मे खातेदारान हरनेकसिंह, टेकसिंह व करनैलसिंह उर्फ फरनैलसिंह पुत्रगण जोगेन्द्रसिंह

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

के नाम राजस्व रिकार्ड मे अंकित थी जो उक्त तीनो खातेदारो द्वारा दिनांक 30.04. 2001 को गुरतेजसिंह पुत्र खेतासिंह को सप्रतिफल विक्रय कर दी तथा उक्त भूमि की पूर्व दिशा की ओर पत्थरलाईन अर्थात प.न. 142/194 मे अवस्थित मंजूरशुदा रास्ते से आने हेतु उक्त 8 बीघा भूमि को कोई रास्ता नही लगता था। उक्त भूमि क्रेता गुरतेजसिह द्वारा विक्रय अनुबंधित भूमि जो प.न. 143/194 के मु.न. 48 कि.न. 6, 7, 14, 15, 16, 17, 24, 25 मे अवस्थित था, तत्पश्चात दिनांक 15.05.2002 को हरनेकसिंह आदि द्वारा एक विक्रय विलेख गुरतेजसिंह के पक्ष मे निष्पादित कर पंजीबद्ध करवाया। उक्त भूमि मे आने जाने हेतु एक अन्य खातेदार गुलाम फरीद पुत्र अब्दुल हक जिसकी भूमि भी इसी मुरब्बा नं. 48 के कि.न. 18, 19, 20 मे अवस्थित थी, मे से उत्तर दिशा की ओर उक्त क्रेता गुरतेजसिंह द्वारा उक्त भूमि मे आने जाने हेतु तीनो बीघो मे दो दो बिस्वा भूमि यानि कुल 6 बिस्वा गुलाम फरीद से प्रतिफल क्रय कर ली जिसका पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 25.02.2002 को गुलाम फरीद बहक गुरतेजसिंह उपपंजीयक संगरिया कार्यालय से पंजीबद्ध करवा दिया। विक्रय विलेख के रोज से ही उक्त भूमि पर काबिज होकर रास्ता के रूप मे अपनी खातेदारी भूमि का व्यक्तिगत रूप से उपयोग व उपभोग करने लगा तथ उक्त दोनो विक्रय विलेखो के आधार पर उक्त 8 बीघा 6 बिस्वा भूमि का नामान्तरण भी गुरतेजसिंह के नाम से हो चुका है तथा गुलाम फरीद द्वारा दिनांक 25.02.2002 को एक हल्फनामा रोबरू गवाहान लिखवाकर निष्पादित किया कि चक 6 डीएलपी के प.न. 143/194 मु.न. 48 कि.न. 18, 19, 20 मे 2–2 बिस्वा कुल 6 बिस्वा भूमि गुरतेजसिंह पुत्र खेतासिंह को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख विक्रय की है तथा उक्त वर्णित रकबे का कब्जा सौपा है तथा यह रकबा क्रेता द्वारा रास्ते के लिए क्रय किया है, बाबत दिया। तत्पश्चात दिनांक 28.01.2005 को गुरतेजसिंह द्वारा उक्त दोनो बैयनामो मे क्रय की

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आराजी अप्रार्थी सं. 2/अपीलांट सं. 2 को विक्रय अनुबंधित कर कब्जा कुल भूमि का मौके पर उसी दिन अप्रार्थी सं. 2 को सौंप दिया तथा दिनांक 17.03.2007 को विक्रय विलेख अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे निष्पादित कर पंजीकृत करवा दिया।''

7. अपीलांट के तर्क के खण्डन मे रेस्पो0 का तर्क है कि ''चक 6 डीएलपी के खाता सं. 19/18 मे प.न. 143/193 मु.न. 30 कि.न. 22 ता 24/0.759 है0, प.न. 143/194 मु.न. 48 कि.न. 9 ता 12/1.012, 18/0.127, 19 ता 22/1.012, प.न. 144/195 मु. न. 50 कि.न. 21 ता 24/1.012, 25/0.228 है0, 143/196 मु.न. 61 कि.न. 4 ता 7/1.012, 14, 15/0.506 है0, 144/196 मु.न. 62 कि.न. 1 ता 4/9/2, 5/0.202, 6/0.228, 7 ता 14/2.024, 15/0.228 कुल 2.262 है0 रास्ता मय गै.मु. 0.102 खाला 0.126 है0 कुल 9.490 है0 भूमि है। उक्त भूमि रेस्पो0 के पिता गुरजन्टसिंह की खरीदशुदा है। रेस्पो0 के पिता गुरजन्टसिंह फौत हो चुका है उनके बाद समस्त भूमि रेस्पो0 के कब्जा मे चली आ रही है। उक्त भूमि मे प.न. 143/194 मु.न. 48 कि.न. 18/0.127, 19/0.253, 20/0.253 पूरे है। इनके से कोई रास्ता स्वीकृत नही है लेकिन अपीलांटस जिनकी आगे खरीदशुदा भूमि है रास्ता मांग रहे थे। उक्त किलो मे रास्ता देने से इन्कार कर दिया कि उक्त किलो मे कोई स्वीकृत रास्ता नही है ना ही उक्त किले पत्थर लाईन पर है। रास्ता देने से मेरे एक खेत के दो खेत हो जायेगें तो अप्रार्थीगण/अपीलांटस कहने लगे कि रास्ता नही दोगे तो जबरदस्ती आपके उक्त किलो मे से रास्ता ले लेगें। रेस्पो0 की उक्त भूमि कि.न. 18, 19, 20 मे स्वीकृत या चालू रास्ता नही है। रेस्पो0 ने उक्त किलो मे ग्वार की फसल काश्त कर रखी है। अपीलांटस जबरदस्ती आवागमन करने से रेस्पो0 की फसल नष्ट हो जायेगी व रेस्पो0 की कृषि भूमि विभाजित हो जायेगी।''

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

8. अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि अपीलांट ने चक 6 डीएलपी के प.न. 143/194 मु.न. 48 कि.न. 18, 19, 20 मे 2–2 बिस्वा कुल 6 बिस्वा भूमि खरीदशुदा होने तथा उक्त 6 बिस्वा भूमि रास्ते हेतु उपयोग व उपभोग करने का कथन किया है परन्तु उक्त भूमि का कब्जा अपीलांट का है, इसके संबंध मे कोई दस्तोवजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है तथा ना ही बैयनामा मे किला नम्बर व मुरब्बा नम्बर का उल्लेख किया है। चक 6 डीएलपी के प.न. 143/194 मु.न. 48 कि.न. 18, 19, 20 सांझा खाते मे दर्ज है तथा संयुक्त खाता की भूमि मे प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक हिस्से पर स्वामित्व होता है। सहखातेदार के अलग अलग हिस्से का निर्धारण खाता विभाजन से ही हो सकता है एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि के संबंध मे खाता विभाजन का दावा जैरकार है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.05.2018 मे बिना विधिक या प्रक्रियात्मक त्रुटि के हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होने के कारण अपील अपीलांटस खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश की पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाना न्यायोचित है।

9. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नही होने के कारण अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.05.2018 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 03.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official